**डॉ० नवल किशोर चौधरी, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2020 को सम्पन्न विकास कार्यों की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-**

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक आरंभ करते हुए वैश्विक महामारी कोविड–19 हेतु देशव्यापी लॉकडाउन में जिले के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए बधाई दिया गया। तदोपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

**लोक शिकायत निवारण** :– लोक शिकायत निवारण के तहत प्राप्त परिवादों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, जिला लोक शिकायत निवारण द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री पोर्टल एवं प्रधानमंत्री पोर्टल के विभिन्न विभागों के कुल 148 आवेदन लंबित है जिसे संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस संदर्भ में लंबित परिवादों से संबंधित प्रतिवेदन ससमय जिला लोक शिकायत निवारण विभाग में भेजने का निदेश दिया गया।

**माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय** :– माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य में कोई प्रगति नहीं है। इस संदर्भ में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का लॉकडाउन के कारण सर्वे नहीं हो पाया। जिस कारण आवेदनों का निष्पादन ससमय नहीं हो पाया। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले के मात्र दो ही महाविद्यालय पोर्टल पर प्रविष्ट है। शेष सात महाविद्यालयों को पोर्टल पर प्रविष्ट करने हेतु माह जून 2020 में पत्र भेजा गया था परंतु अभी तक प्रविष्ट नहीं किया गया है। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर से पुनः पत्र भेजा जाय ताकि शेष सात महाविद्यालयों का प्रविष्टि पोर्टल पर हो सके।

हर घर नल का जल योजना (ग्रामीण) की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि कुल लक्षित वार्डो की संख्या 1850, कुल लक्षित घरों की संख्या 240721, कुल कार्य प्रारंभ वार्डो की संख्या 1848, कार्य पूर्ण वार्डो की संख्या 1239 पाया गया। इस

संदर्भ में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जितने भी अपूर्ण कार्य है उनको जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाय।

हर घर नल का जल (शहरी) की समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में नगर परिषद भभुआ एवं नगर पंचायत मोहनियॉ के कुल वार्ड 41 में से सभी वार्डो में कार्य प्रारंभ हो गया है जिसमें से 38 वार्डो में कार्य पूर्ण हो गया है। शेष वार्डो का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण घर का सम्मान (ग्रामीण) के तहत कुल 282133 घरों को लक्षित किया गया है। जिले के सभी 149 पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ की प्रखण्ड स्तर पर शौचालय प्रोत्साहन की लंबित राशि का ससमय नियमानुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड में कार्यरत स्वच्छ भारत मिशन के प्रखण्ड समन्वयक एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के साथ बैठक कर कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निदेशित किया जाय।

**जल-जीवन-हरियाली** :– जल–जीवन–हरियाली योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम लघु सिंचाई विभाग के द्वारा जिले में अवस्थित तालाब/पोखर की कुल 49 में से 23 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है। शेष योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन द्वारा जल–जीवन–हरियाली के तहत कुल 146 कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसमें 76 का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। नगर पंचायत मोहनियॉ द्वारा 13 कुओं में से 2 को पूर्ण किया गया है एवं नगर परिषद भभुआ द्वारा 17 कुओं में से 12 पूर्ण कराया गया है। 05 कुओं का अतिक्रमण होने के कारण जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद भभुआ को निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी भभुआ से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमित कुओं को अतिक्रमणमुक्त कराया जाय तत्पश्चात कुओं का जीर्णोद्धार करना सुनिश्चित किया जाय।

समीक्षा के क्रम में कृषि विभाग द्वारा जल–जीवन–हरियाली के तहत संतोषजनक कार्य नहीं करने के लिए खेद प्रकट करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश

दिया गया कि जल–जीवन–हरियाली के तहत हो रहे कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**मनरेगा** :– मनरेगा योजनान्तर्गत चल रहे कार्यो की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को जल–जीवन–हरियाली अन्तर्गत चल रहे कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करने का निदेश दिया गया। जिले में मानव दिवस सृजन की कुल लक्ष्य (जून 2020) 787275. के विरूद्ध 1250582 मानव दिवस सृजन किया गया है। बैठक में उपस्थित सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आए हुए श्रमिकों को हर हाल में रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाय। मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को मजदूरी भुगतान किया जाना है। इस जिले में अभी तक 56. 70 प्रतिशत को ही भुगतान किया गया है। इस संदर्भ में सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आवास प्राप्त लाभुकों को ससमय मजदूरी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी भी तरह की अगर कोताही बरती जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही प्रखण्ड के कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा की होगी।

**प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** :– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की भी समीक्षा की गई, जिसमें जिले का कुल लक्ष्य 421 में से 128 का निबंधन, 100 का जियोटैग एवं 85 आवासों की स्वीकृति आवास सॉफ्ट पर दी गई है, जिसमें 66 लाभुकों को प्रथम किस्त, 22 लाभुकों को द्वितीय किस्त, 16 लाभुकों को तृतीय किस्त दिया गया है तथा 15 लाभुकों ने आवास पूर्ण कर लिया है। इस संदर्भ में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर, चॉद, दुर्गावती और रामपुर को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत आवास सॉफ्ट पर निबंधन तथा जियो–टैग कराना सुनिश्चित करें ताकि जिला स्तर से स्वीकृति दी जा सके। साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2019–20 में अधिक से अधिक आवास पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि राज्य स्तर पर जिले रैंकिंग बेहतर हो सके।

**सामाजिक सुरक्षा** :– सामाजिक सुरक्षा के तहत इंदिरा गॉधी वृद्धापेंशन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कुल 70698 लाभुकों में से 70157 का लाभुकों का PFMS के माध्यम से राशि उनके खाते में हस्तानांतरित किया जा चुका है। इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशकक्ता पेंशन योजना के तहत कुल 1574 लाभुकों में से 1563 लाभुकों का PFMS के माध्यम से राशि

उनके खाते में हस्तानांतरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत कुल 20 लाभार्थी में से 12 लाभार्थियों का भुगतान किया जा चुका है।

**कृषि विभाग** :– कृषि विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि बीज का वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बीज का वितरण सही ढंग से कराया जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि जल्द से ज़ल्द खाद के स्टोक होल्डरों के साथ बैठक कर प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा में भेजना सुनिश्चित करेगें।

**भूमि संरक्षण** :– भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य योजना बिहार राज्य विभिन्न रेनफेड/कम वर्षा वाले जिले में चलाई जा रही है जिसमें कैमूर जिले में भी इसका कार्य जलछाजन क्षेत्रों में जैसे अधौरा, भगवानपुर, रामपुर एवं चैनपुर प्रखण्ड में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में जल संचयन एवं भूमि जलस्तर में सुधार हेतु PCD, SDD, WHT एवं Plantation के लिए लाभुकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि भूमि संरक्षण विभाग के जितने भी लाभुकों को लाभान्वित किया गया है उसकी सूची उप विकास आयुक्त, कैमूर को दिया जाय। उप विकास आयुक्त, कैमूर को निदेशित किया गया कि भूमि संरक्षण से संबंधित योजनाओं की जॉच हेतु टीम बनाया जाय।

**आई०सी०डी०एस०** :– आई०सी०डी०एस० के तहत चल रहे कार्यो की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि अधिकांशतः परियोजना का अपना भवन नहीं है। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा एवं आई०सी०डी०एस० के अभिसरण से ऑगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जाना है परंतु निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। बैठक में उपस्थित सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को निदेश दिया गया कि अपने–अपने प्रखण्ड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ऑगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाय।

**श्रम विभाग** :– श्रम विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में श्रम अधीक्षक, कैमूर द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में कैमूर जिला अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें से 17 आवेदनों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 925600 राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

**जिला अल्पसंख्यक कल्याण** :– जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्री–मैट्रिक छात्रवृति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुस्लिम महिला तलाकशुदा/परित्यकता, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार त्रृण येाजना एवं श्रम शक्ति योजना हेतु प्राप्त आवेदनों का जॉचोपरांत नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है।

**पशुपालन** :– पशुपालन विभाग के तहत चल रहे कार्यो की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पशु विकास परियोजना का कार्यान्वयन DLDA द्वारा जिला अन्तर्गत कुल 15 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर संचालित है। पशु नस्ल सुधार गर्भाधान के द्वारा यह बिहार सरकार की अतिमहत्वपूर्ण योजना है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 1010 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है कि जिसमें से गाय 734 एवं भैंस 276 है।

**अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।**

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

ज्ञापांक...748.../अभि॰ भभुआ, दिनांक...06/07/20

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, कैमूर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :– प्रखण्डों के सभी वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.7.20
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)